बृजेन्द्र कुमार
मुख्य अभियन्ता

अ0शा0पत्रांकः 1064 /अनु0प्र0/एम–42
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
फैक्स नं0– 0522–2200162

लखनऊः दिनांक : 28/11, 2016

विषय :–दिनॉक 18.11.2016 को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत सिचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ सिंचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक दिनॉक 18.11.2016 की कार्यवृत्त संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अनुश्रवण प्रकोष्ठ में ई–मेल के माध्यम से तथा हस्ताक्षर युक्त हार्डकापी भी देने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

सादर

भवदीय,
(बृजेन्द्र कुमार) 28/11/16

सर्वश्री

1 सुधीर कुमार शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (गंगा),
सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
2 ए0के0 बंसल,
मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़।
3 एम0पी0एस0 वर्मा,
मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद।
4 ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर।
5 एस0एन0 शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहा0) लखनऊ।
6 ओम वर्मा,
मुख्य अभियन्ता (शारदा) लखनऊ।
7 एस0एन0पी0 सिंह,
मु0अभि0 (कनहर) मिर्जापुर।
8 नाम से,
मुख्य अभियन्ता (सज्जा) लखनऊ।
9 प्रदीप कुमार गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी।
10 अनिल कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (बेतवा परि0) झांसी।
11 भानू प्रताप सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–प्रथम), फैजाबाद।
12 विजय कुमार सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू–द्वितीय) गोण्डा।
13 नागेश कुमार शर्मा,
मुख्य अभियन्ता, (बाढ़0 सहा0 परि0), लखनऊ।
14 श्रीप्रकाश कौशिक,
मुख्य अभियन्ता, (परिकल्प), लखनऊ।
15 सुरेन्द्र कुमार पाल,
मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक (वाल्मी)लखनऊ।
16 एन0के0 श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता, (परिवाद) लखनऊ।
17 शरत गोयल,
मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ।
18 एस0के0 त्रिवेदी,
मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0) बाढ मण्डल,लखनऊ।
19 नागेश कुमार शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।
20 शरत गोयल,
मुख्य अभियन्ता (पैक्ट) लखनऊ।
21 संग्राम सिंह,
मुख्य अभियन्ता (बाणसागर),इलाहाबाद।
22 आर0पी0 यादव,
मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।
23 ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी।
24 सुबोध रंजन सक्सेना,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप) वाराणसी।
25 नाम से,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ।
26 नाम से,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ।
27 बृज मोहन,
मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व), फैजाबाद।
28 अजय कुमार बंसल,
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), लखनऊ।
29 गुलेश चन्द्र,
मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला।
30 आर0आर0 खान,
मुख्य अभियन्ता (बजट), लखनऊ।

पत्रॉकः 1064 /अनु0प्र0/एम–42/ तदिनांक 28/11/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
3– प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य अभियन्ता,(स्तर–1)परिकल्प एंव शोध/नियोजन/सिंचाई एवं जल निकास,सि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर–1,पश्चिम मेरठ/दक्षिण झॉसी/विन्ध्याचल इलाहाबाद/पूर्व गोरखपुर/रुहेलखण्ड बरेली/परिकल्प एवं शोध लखनऊ/नियोजन लखनऊ/कार्मिक लखनऊ/मध्य लखनऊ/यांत्रिक लखनऊ सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

28/11/16
(बृजेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक: 18.11.2016 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

1— **विशेष बिन्दु :**

क्षेत्रीय संगठनों द्वारा परियोजनाओं के वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं जिनमें कई प्रस्तावों में अधिकारियों के नाम एवं मोहर नहीं लगायी गयी है, यह स्थिति ठीक नहीं है। जबकि पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो किसी पेपर पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनमें नाम एवं पदनाम की मुहर लगायी जाये। निर्देशित किया गया कि जो परियोजनायें वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन में प्रेषित की गयी हैं यदि उनमें नाम, पदनाम सहित मुहर नहीं लगी है तो तत्काल शासन में किसी भिज्ञ अधिकारी को भेजकर मुहर लगवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही सम्बन्धित संगठन)

2— **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणायें :**

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.03.2012 से 31.10.2016 तक सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कुल 64 घोषणायें की गई हैं। जिनमें से 22 घोषणायें पूर्ण की जा चुकी है तथा 42 घोषणायें पूर्ण होनी शेष है। निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा ई–पोर्टल पर की जा रही है, अतः मुख्य अभियन्ता स्तर पर समय–समय पर समीक्षा करते रहें तथा ई–पोर्टल पर फीड कराते रहें एवं घोषणायें समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सोन संगठन में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा से आच्छादित वरूणा नदी के चैनेलाइजेशन के तटीय विकास की परियोजना से सम्बन्धित जो कार्य करा लिये गये हैं उनके भुगतान से सम्बन्धित बीएम–8 उपलब्ध कराये जिससे अवशेष धनराशि अवमुक्त हो सकें। अवशेष धनराशि की जो मांग की गयी है उसमे पूरे कालम नहीं भरे गये हैं, जिन्हें पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, यांत्रिक से वांछना की गयी कि यांत्रिक से सम्बन्धित सभी संगठनों की समीक्षा अपने स्तर पर कर लें तथा घोषणाओं से आच्छादित कार्यो को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही सम्बन्धित संगठन)

3— **ई–परियोजना प्रबन्धन :**

ई–परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर निर्माणाधीन परियोजनाओं को ई–पोर्टल पर दर्ज करने हेतु उ0प्र0 शासन एवं मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। परियोजनाओं के ई–पोर्टल पर दर्ज करने की प्रगति धीमी है, यह स्थिति ठीक नहीं है। रू0 100.00 करोड़ से अधिक की जो निर्माणाधीन परियोजनायें है उनकी समीक्षा मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा की जा रही है, अतः 100.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की ई–फीडिंग तत्काल कराना सुनिश्चित करें। विभाग की जो परियोजनायें ई–पोर्टल पर दर्ज हैं उनमें से कई परियोजनाओं में माईल स्टोन दर्ज नहीं है। निर्देशित किया गया कि रू0 एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को नियमितरूप से ई–पोर्टल पर अपलोड करते हुए परियोजनाओं के माइल स्टोन, धनावंटन, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

4— **रबी 1424 फसली में सिल्ट सफाई :**

रबी 1424 फसली (वर्ष 2016–17) में 8663 कि0मी0 राजबहा तथा 6525 कि0मी0 अल्पिका के सिल्ट सफाई का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष दिनांक 17.11.2016 तक विभागीय मद के अन्तर्गत 2946 कि0मी0 राजबहा तथा 2112 कि0मी0 अल्पिका की सिल्ट सफाई की गयी है। निर्देशित किया गया कि सिल्ट सफाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप समयान्तर्गत करें एवं प्रगति प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत सिल्ट सफाई की प्रगति कम है, इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उपलब्ध धनराशि नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

20.11.16

5– **मनरेगा :**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा के अन्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर 2016 तक रू0 40.76 करोड़ लागत की 1502 परियोजनायें सम्बन्धित जिलों में प्रस्तुत की गयी है। माह अक्टूबर 2016 तक मनरेगा मद में रू0 14.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 7.19 करोड़ व्यय हुए हैं, व्यय की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि जो धनराशि उपलब्ध है उसे निर्धारित समय–सीमा के अन्दर व्यय करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संगठन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप परियोजनायें बनाकर सम्बन्धित जिलों में प्रस्तुत करें तथा धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

6– **व्यय :**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में, मद संख्या 4700 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2016 तक आवंटित धनराशि रू0 2459.36 करोड़ के सापेक्ष रू0 1837.80 करोड़ व्यय किये गये। मद संख्या 4701 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 412.19 करोड़ के सापेक्ष रू0 342.30 करोड़ व्यय किये गये।

मद संख्या 4711 (बाढ़ नियंत्रण एवं जलोत्सारण) मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 318.70 करोड़ के सापेक्ष रू0 185.00 करोड़ व्यय किये गये हैं। मद संख्या 2711– बाढ़ अनुरक्षण, जलोत्सारण (ड्रेनों की सिल्ट सफाई) एवं सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण कार्यो हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय संगठनों को प्राधिकृत धनराशि रू0 108.84 करोड़ है जिसके सापेक्ष रू0 69.27 करोड़ व्यय किये गये।

विभिन्न मदों के अन्तर्गत कई संगठनों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की प्रगति कम है, इस पर रोष व्यक्त किया गया कि तथा निर्देशित किया गया कि विभिन्न मदों में जिन परियोजनाओं पर धनराशि प्राप्त हुई है उसे निर्धारित समय सीमा में व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

7– **ए0आई0बी0पी0 :**

ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त की जानी है, उस धनराशि को प्राप्त करने हेतु प्रयास करें जिससे धनराशि समय से प्राप्त हो सकें तथा कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो सकें। मध्यगंगा स्टेज–2 परियोजना के कार्यो हेतु एम0ओ0यू0 उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है, निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) शासन स्तर पर एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हेतु पैरवी करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

8– **कर–करेत्तर राजस्व :**

कर–करेत्तर राजस्व वसूली के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लक्ष्य रु0 660.00 करोड़ है तथा माह अक्टूबर, 2016 तक रू0 385.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष उपलब्धि रु0 335.28 करोड़ है जो लक्ष्य का 87.09% है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कर–करेत्तर राजस्व मद में प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा कर–करेत्तर राजस्व वसूली की सूचना सभी संगठन प्रत्येक माह समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

9– **आरोप–पत्र :**

विभाग में क्षेत्रीय संगठनों के स्तर पर 75 आरोप–पत्र अपेक्षित हैं। जिसमें से 09 जॉच अनुभाग में विधीक्षणाधीन, 46 संगठन से अपेक्षित तथा 20 अरोप पत्र न बनने की आख्या शासन को प्रेषित है। क्षेत्रीय संगठनों को निर्देशित किया गया कि उनके संगठन में जो आरोप पत्र लम्बित है उनकी समीक्षा कर लें तथा आरोप पत्रों का गठन कर तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि जिन अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र का गठन किया जाना है, तथा जो आरोप लगाये गये हैं उनका पूर्णरूप से परीक्षण कर आरोप–पत्र का गठन करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

10– **वाद :**

विभिन्न माननीय न्यायालयों में 8382 वाद लम्बित है, जिसमें 8070 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है, कुल अवशेष वाद 312 हैं जिनमें से 71 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने की

28.11.16

आवश्यकता नहीं है तथा 241 वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना है। जिसमें से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 02, माननीय उच्च न्यायालय में 141, माननीय लोक सेवा अधिकरण में 24, मा0 श्रम न्यायालय में 46 तथा अन्य में 28 वाद अवशेष हैं जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है। निर्देशित किया गया कि लम्बित वादों में प्राथमिकता पर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय।

अवमाननावाद :

विभिन्न माननीय न्यायालयों में 17 अवमाननावाद लम्बित है जिनमें माह अक्टूबर, 2016 तक प्रतिशपथ–पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जिनमें से 15 अवमाननावाद माननीय उच्च न्यायालय में तथा 02 अवमाननावाद माननीय लोक सेवा अधिकरण में लम्बित है जिनमें प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि लम्बित अवमाननावादों में प्राथमिकता पर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय तथा समय–समय पर उच्चस्तर पर भी समीक्षा करते रहें।

माननीय न्यायालयों में लम्बित वादों में सिंचाई विभाग के अनुसार तथा एन0आई0सी0 के वेबसाइट के अनुसार प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने में काफी भिन्नता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। लम्बित वादों की समीक्षा शासन द्वारा लगातार की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सी0ए0 दाखिल करने की समीक्षा कर लें तथा जिन अवमाननावादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाये उनकी सूचना एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भिन्नता समाप्त हो सकें।

यह भी निर्देशित किया गया कि भू–प्रतिकर सम्बन्धी वादों में मा0 उच्च न्यायालय में पेपर बुक प्रेषित किये जाने की वांछना की गई है, इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

11– रू0 5.00 करोड़ की ऐसी परियोजनायें जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई उनकी सूची उपलब्ध कराये तथा इनमें से कई ऐसी परियोजनाये हैं जिनकी परियोजनायें स्वीकृत नहीं है उनकी सूची अलग से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

12– **प्रपत्र– 1, 2 व 3 :**

शासन स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री जी के समीक्षा हेतु, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा 1, 2 व 3 पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थें परन्तु शारदा सहायक, सरयू–2, पैक्ट, बेतवा परियोजना, गंगा, गण्डक, सरयू–1, नलकूप पूर्व तथा अग्रिम नियोजन संगठन से सूचना अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रोफार्मा 1, 2 व 3 पर अद्यतन सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये तथा इन सूचनाओं को प्रत्येक माह समय से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही क्षेत्रीय संगठन

13– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गंगा एवं सरयू–1 एवं यांत्रिक संगठन के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा भी बैठक में भाग नहीं लिया गया। सिविल संगठन के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा जाये तथा प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाये कि वे यांत्रिक संगठनों की समीक्षा कर समीक्षा रिपोर्ट प्रेषित करें।

कार्यवाही सम्बन्धित संगठन

धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

28.11.16

अधिशासी अभियन्ता
अनुश्रवण प्रकोष्ठ यूनिट–3
सि0 भवन एन0, लखनऊ
28/11/2016

28/11/16
अधीक्षण अभियन्ता
अनुश्रवण प्रकोष्ठ
सि0 भवन एन0, लखनऊ

28/11/16
मु0 अ0 (अनु0 एवं मूल्या)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
नियोजन

28/11/16
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष